न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:— 111/2023 तारीख रजू :— 26.12.2023

पीठासीन अधिकारी :— सुश्री पूजा मीना आर.ए.एस.

1 हेतराम } पुत्रान मोहरवाई पुत्री नन्दू
2 चेतराम

3 चतरवाई } पुत्रीया मोहरवाई पुत्री नन्दू
4 रामनिरी
5 अनीता

समस्त जाति प्रजापत निवासी भैसा पटटी खुर्द तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0

सायलान

बनाम

1 प्रेमराज दत्तक पुत्र नन्दू जाति प्रजापत निवासी खानपुर तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0

2 उप पंजीयक टोडाभीत तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0

3 तहसीलदार टोडाभीम तह0 टोडाभीमं जिला करौली राज0

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थित :— 1 अभिभाषक प्रार्थी :— राजकुमारसिंह राजावत एडवोकेट
2 अभिभाषक अप्रार्थी की ओर :— सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक— 18.06.

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या 219 जमावंदी सम्वत 2074—2077 ग्राम खानपुर की आराजी ख0 नं0 439 रकवा 0:32 है0

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

, 444 रकवा 0:23 है0 , 445 रकवा 0:01 है0 , 446रकवा 0:02 है0 , 447 रकवा 0:23 है0 कुल किता 5 कुल रकवा 0:81 है0 ग्राम खानपुर तह0 टोडाभीम में स्थित है सिमे गैरसायल नं0 1 बहिस्सा 1/3 के नाम वर्तमान रेवेन्यू रिकोर्ड में दर्ज है शेष हिस्सा अन्य मूल दावे के प्रतिवादी संख्या 2 ता 21 के नाम दर्ज रिकोर्ड है आराजी खाता संख्या 347 जमावंदी सम्वत 2074–2077 ग्राम खानपुर की आराजी खं0 नं0 306 रकवा 0:31 है0 , 308 रकवा 0:30 है0 ,कुल किता 2 कुल रकवा 0:61 है0 ग्राम खानपुर तह0 टोडाभीम में स्थित है सिमे गैरसायल नं0 1 बहिस्सा 1654/9150 के नाम वर्तमान रेवेन्यू रिकोर्ड में दर्ज है शेष हिस्सा अन्य मूल दावे के प्रतिवादी संख्या 2 ता 21 के नाम दर्ज रिकोर्ड है आराजी खाता संख्या 348 जमावंदी सम्वत 2074–2077 ग्राम खानपुर की आराजी खं0 नं0 307 रकवा 0:31 है0, ग्राम खानपुर तह0 टोडाभीम में स्थित है जो मूल दावे के प्रतिवादीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज रिकोर्ड है उक्त आराजी पूर्व में जगदेव पुत्र मंगल हि0 1/3 , मांग्या ,धर्मी शिब्बू पि0 मूल्या केशर सूकी पुत्रीया मूल्या हि0 बराबर हि0 1/3 , सायलान की मॉ मोहरवाई शान्ति, मुकीला पुत्रीया नन्दू , नर्वदा वेवा नन्दू , प्रेमराज दत्तक पुत्र नन्दू हि0 बरावर हि0 1/3 दर्ज था इस प्रकार उक्त आराजीयात 8 कुल रकवा 1:72 है स्थित ग्राम खानपुर में सायलान की मां का 1/5 हिस्सा बनता है नन्दू का सजरा निम्न नन्दू के तीन पुत्रीया मोहरवाई शान्ति, मुकीला पत्नि नर्वदा एवम दत्तक पुत्र प्रेमराज है मोहरवाई के सायलान है सायलान की मा मोहरवाई के फौत हो जाने के वाद मोहरवाई की विरासत सायलान के नाम नही खोलकर नां0 सं0 391 दिनांक बहक नर्वदा वेवा नन्दू , शान्ति, मुकीला पि0 नन्दू के नाम खोल दिया जो एकदम गलत बनावटी व वेसूद खोला गया जो वहक सायलान नल एंड वोईड है तथा सायलान अपनी मां मोहरवाई के जायज वारिस कानूनी है तथा उसके तर्के पर काबिज है तथा मोहरवाई के हिस्से तक आने नाम खातेदारी कराने के हकदार है उक्त आराजी में सायलान की मॉ का 1/15 हिस्सा है गैरसायल नं0 1 द्वारा सम्पूर्ण आराजी को हडपने की गजज से रेवेन्यू कर्मचारीयो से साज करके सायलान की मॉ मोहरवाई की विरासत सायलान के नाम नही खुलवाकर नर्वदा वेवा नन्दू , शान्ति, मुकीला पि0 नन्दू के नाम तस्दीक करवा दी तथा फिर विना प्रतिफल लिये उक्त हिस्से का विक्रयनामा मुकीला से गैरसायल नं0 1 ने अपने नाम तथा नर्वदा व शान्ति से एक फर्जी बनावटी व वेसूद हक त्याग अपने नाम करा लिया जो सायलान के हिस्से 1/15 पर ... है सायलान अपने हिस्से को काश्त कर रही है तथा आराजी के अपने हिस्से ... काबिज रहकर काश्त करती रही है तथा अब भी काश्त कर रही है। गैरसायल ... 1 के मन में बदनियति पैदा हो गई है तथा साजिस के तहत सम्पूर्ण आराजी ... गलत खातेदारी का बेजा फायदा उठाकर उक्त आराजी से सालयान को बेदखल करना चाहता है तथा गैर सायलान सम्पूर्ण आराजी होने का बेजा फायदा उठाकर बेचने पर उतारु है गैरसायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

नंम्बर 1 द्वारा खसरा नम्बर 307 में से सम्पूर्ण हिस्सा तथा खसरा नम्बर 306, 308 में से कुछ हिस्सा को बेचान कर दिया। बाका दिनांक 10.12.2023 को सुबह करीब 9 बजे था है कि सायलान अपने हिस्से की आराजी में खडी फसल सरसो की देखरेख करने गये थे कि गैरसायल नं0 1 आया तथा कहने लगे कि तुम फसल क्या देख रहे हो, तुमने काश्त करा दी तो क्या है, इसको दरोह में कराऊंगा इस पर सायला द्वारा गैरसायल नं0 1 से कहा कि हमने हमारे हिस्से में फसल बुवाई है, तुम क्यो दरोह कराओगें कि मैने उक्त समस्त आराजी अपने नाम करवा ली है। तथा खातेदारी मेरे नाम हो गयी है, तुमने कोई कानूनी कार्यवाही की तो उक्त जमीन को किसी लठ्ठ वाले व्यक्ति को बेचान कर दूंगा या रहन रख दूंगा। इस प्रकार गैरसायल नं0 1 अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा में कामयाब हो गयी तथा सायलान को बेदखल कर आराजी को रहन व्यय कर दिया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगा इसलिए गैरसायल नं0 1 को पावंन्द फरमाया जावे कि वह आराजी का बेचान नही करे तथा सायलान को अपने हिस्से से बेदखल नही करे प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये, अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अधिकतम तथ्यो को अस्वीकार किया तथा विशेष विवरण में अंकित किया कि उक्त आराजी नन्दू के नाम थी नन्दू के मरने के वाद उनके वारिसान के नाम आयी गैरसायल नं0 1 ने मुकीला से जरिए विक्रय पत्र तथा नर्वदा व शान्ति से जरिए हक त्याग प्राप्त की है सायलान भैसा के रहने वाले है उनका आराजी पर कोई कब्जा नही है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे मैने अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी सायलान के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी प्रेत्रिक है जिसमे सायलान की मा का हिस्सा है गेरसायल नं0 1 ने साज करके अपने नाम कराली है इसलिए अप्राथीगण को पावंन्द किया जावे तथा अधिवक्ता गैरसायल द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया गैरसायल नं0 1 ने मुकीला से जरिए विक्रय पत्र तथा नर्वदा व शान्ति से जरिए हक त्याग प्राप्त की है सायलान भैसा के रहने वाले है उनका आराजी पर कोई कब्जा नही है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested

मैने उभय पक्षकारान की बहस तथा पत्रांवली में [illegible]स्तुत [illegible]तावेजात का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज से [illegible] श्री तथा नंन्दू से गैरसायल व सायलान की मॉ मोहरवाई व मुकीला व शा[illegible] तथा नर्वदा को विरासत में प्राप्त हुई चूकि दावा घोषणा का है तथा कब्जे के प्रश्न का निर्धारण मूल दावे में गुणावगुण के आधार पर तय होना है। इसलिए आराजी को सुरक्षित रखने की दृष्टि से

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मेरे विन्रम मत में उक्त आराजी का गैरसायल नं0 1 के 1/3 हिस्से तक रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखना न्योयोचित है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम खानपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 219 में दर्ज भूमि खं0 नं0 439 रकवा 0.32 है0 , 444 रकवा 0.23 है0 , 445 रकवा 0.01 है0 , 446 रकवा 0.02 है0 , 447 रकवा 0.23 है0 कुल किता 5 कुल रकवा 0:81 है0 मे गैररायल नं0 1 का हिस्सा 1/3 हिस्से का खातेदार दर्ज रिकार्ड है प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे सावित है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि उभयपक्षकारान को पाबन्द नही किया जाता है तो उभयपक्षकारान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

अतः ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम खानपुर तहसील टोडाभीम के खं0 नं0 439 रकवा 0.32 है0 , 444 रकवा 0:23 है0 , 445 रकवा 0:01 है0 , 446 रकवा 0:02 है0 , 447 रकवा 0:23 है0 कुल किता 5 कुल रकवा 0:81 है0 व आराजी खं0 नं0 306 रकवा 0:31 है0 , 308 रकवा 0:30 है0 ,कुल किता 2 कुल रकवा 0:61 है0 तथा आराजी खं0 नं0 307 रकवा 0:31 है0 में गैरसायल नं0 1 के 1/3 हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested